राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 25490 दिनांक :– 20 सितम्बर, 2020

:: आदेश ::

प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.33 (2) गृह/ग्रुप–9/2019 पार्ट दिनांक 20.09.2020 (प्रति संलग्न) से अनलॉक–4 क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.08.2020 से प्रदत्त गाईडलाईन के भाग–बी नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों (प्रति संलग्न) में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैं :–

1. अनलॉक–4 अवधि में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निषिद्ध गतिविधियां :–

(V) सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक कार्यक्रम दिनांक 31.10.2020 तक अनुमत नहीं होंगें।

तथापि कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर निम्नलिखित की अनुमति जारी रहेगी :–

(i) फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन। आयोजन कर्ता द्वारा :–

(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
(2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जावेगी।
(3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

(ii) **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम** :– अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियो की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 मे वर्णित जुर्मानो एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

अतः इस संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा एवं जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला भीलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2020 को अनलॉक–4 के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त गाईडलाईन एवं इस क्रम में उक्तानुसार जारी संशोधन आदेश में वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करते हुये जनसाधारण से पालना करवाई जावें।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
02. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा
03. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
04. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
05. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
07. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
08. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
09. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 पार्ट जयपुर, दिनांकः 20.09.2020

आदेश

विषयः अनलॉक–4 क्रियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 में संशोधन।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 द्वारा अनलॉक–4 के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के मध्येनजर, कोविड संक्रमण एवं कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु लोगों के एकत्रित होने एवं भीड को प्रतिबंधित करने हेतु निर्णय लिया गया है। अतः आदेश दिनांक 30.08.2020 के द्वारा जारी गाईडलाईन्स के भाग–बी नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. अनलॉक–4 अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर निषिद्ध गतिविधियांः–

(v) सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृति/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक कार्यक्रम दिनांक 31.10.2020 तक अनुमत नहीं होंगे।

तथापि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर निम्नलिखित की अनुमति जारी रहेगीः–

(i) फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन। आयोजन कर्ता द्वाराः–

(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
(2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
(3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

(ii) अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रमः– अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

CS Scanned with CamScanner

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

2. धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रतिबंधः–

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं के कोविड संक्रमण के प्रसार की परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

तथापि ये प्रतिबंध अनलॉक–4 के कियान्वयन हेतु जारी की गई गाईडलाईन्स के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।

CS Scanned with CamScanner